**दिल्‍ली विकास प्राधिकरण**

**(आयुक्‍त एवं सचिव कार्यालय)**

सं. एफ.2(2)2016/एमसी/डीडीए/92 दिनांक: 5 मई, 2016

**विषय: दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त।**

राज निवास में दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के संलग्‍न कार्यवृत्‍त प्राप्‍त करें। कार्यवृत्‍त में संशोधन, यदि कोई हो, को सात दिनों के अन्‍दर प्रस्‍तुत किया जाए।

(डी. सरकार)

(आयुक्‍त एवं सचिव)

फोन नं. 24623598

संलग्‍नक: उपर्युक्‍तानुसार

**अध्यक्ष**

1. श्री नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

1. श्री अरुण गोयल

**सदस्य**

1. श्री वेंकटेश मोहन

वित्‍त सदस्‍य, दिविप्रा

1. डॉ. महेश कुमार

अभियंता सदस्‍य, दिविप्रा

1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

अपर सचिव, एमओयूडी

1. श्री बी.के. त्रिपाठी

सदस्‍य सचिव, एनसीआरपीबी

1. श्री विजेंदर गुप्‍ता

विधायक एवं रा.रा.क्षे. दिल्‍ली के विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

1. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
2. श्री एस.के. बग्‍गा, विधायक
3. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
4. श्री सतीश उपाध्‍याय

निगम पार्षद, एसडीएमसी

**विशेष आमंत्रिती**

1. श्री के.के. शर्मा

मुख्‍य सचिव, जीएनसीटीडी

1. श्री रमेश नेगी

प्रधान सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी

1. श्री एस.एन. सहाय

प्रधान सचिव (वित्‍त), जीएनसीटीडी

1. श्री एस.सी.एल. दास

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के सचिव

1. श्री ए. अंबारसु

सचिव (एल एवं बी), जीएनसीटीडी

1. श्री के.के. जोड्डर

मुख्‍य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

1. श्री पुनीत कुमार गोयल

आयुक्‍त, एसडीएमसी

1. श्री प्रवीण गुप्‍ता

आयुक्‍त, एनडीएमसी

1. श्री मोहनजीत सिंह

आयुक्‍त, ईडीएमसी

1. श्री जे.पी. अग्रवाल

प्रधान आयुक्‍त (एलडी, आवास एवं सीडब्‍ल्‍यूजी), दिविप्रा

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्‍त (कार्मिक, एलएम एवं प्रणाली), दिविप्रा

**प्रतिलिपि निम्‍नलिखित को भी प्रेषित:**

1. श्रीमती स्‍वाति शर्मा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के विशेष सचिव

1. श्री आर.एन. शर्मा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के विशेष सचिव

1. डॉ. सिमी मलहोत्रा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के सलाहकार (मीडिया, एकेडमिक, कला, संस्‍कृति एवं भाषा)

1. श्री अजय चौधरी

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के विशेष कार्याधिकारी

1. श्री विश्‍वेंद्र

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के निजी सचिव

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:**

मंत्री (यूडी) के निजी सचिव, शहरी विकास, भारत सरकार के मंत्री का कार्यालय

**दिल्‍ली विकास प्राधिकरण**

राज निवास, दिल्‍ली में दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को पूर्वाहन 10 बजे आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त।

इसमें निम्‍नलिखित उपस्थित थे:

**अध्यक्ष**

श्री नजीब जंग

उपराज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

श्री अरुण गोयल

**सदस्य**

1. श्री वेंकटेश मोहन

वित्‍त सदस्‍य, दिविप्रा

1. डॉ. महेश कुमार

अभियंता सदस्‍य, दिविप्रा

1. श्री विजेंदर गुप्‍ता

विधायक एवं रा.रा.क्षे. दिल्‍ली के विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष

1. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
2. श्री एस.के. बग्‍गा, विधायक
3. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

**सचिव**

श्री डी. सरकार

आयुक्‍त एवं सचिव, दिविप्रा

विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्‍ठ अधिकारी

1. श्री के.के. शर्मा

मुख्‍य सचिव, जीएनसीटीडी

1. श्री रमेश नेगी

प्रधान सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी

1. श्री एस.सी.एल. दास

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के सचिव

1. श्री जे.पी. अग्रवाल

मुख्‍य आयुक्‍त (एलडी एवं आवास), दिविप्रा

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्‍त (एलएम, कार्मिक एवं प्रणाली), दिविप्रा

1. श्रीमती स्‍वाति शर्मा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली की विशेष सचिव

1. श्री आर एन शर्मा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के विशेष सचिव

1. डॉ. (श्रीमती) सिमी मलहोत्रा

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के सलाहकार (मीडिया, एकेडमिक, कला, संस्‍कृति एवं भाषा)

1. श्री अजय चौधरी

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के विशेष कार्याधिकारी

1. श्री विश्‍वेंद्र

उप राज्‍यपाल, दिल्‍ली के निजी सचिव

1. श्री पी. के. गुप्‍ता

आयुक्‍त, उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम

1. श्री ए अंबारसु

सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी

1. श्री एस पी पाठक

आयुक्‍त (योजना), दिविप्रा

1. श्री एम के गुप्‍ता

आयुक्‍त (कार्मिक), दिविप्रा

1. श्री सुबु आर

आयुक्‍त (भूमि निपटान), दिविप्रा

1. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्‍य विधि सलाहकार, दिविप्रा

1. श्री अमित कुमार दास

अपर आयुक्‍त (योजना), दिविप्रा

1. श्री जी एस मीणा

अपर आयुक्‍त, दक्षिणी दिल्‍ली नगर निगम

1. श्री विवेक पाण्‍डेय

अपर आयुक्‍त, पूर्वी दिल्‍ली नगर निगम

1. श्री विपिन तलवार

अपर आयुक्‍त, पूर्वी दिल्‍ली नगर निगम

1. श्री उदित रत्‍ना

मुख्‍य नगर योजनाकार, दक्षिणी दिल्‍ली नगर निगम

1. डॉ. के श्रीरंगन

निदेशक (योजना), दिविप्रा

1. श्री एच के भारती

निदेशक (योजना), दिविप्रा

1. श्री राजेश कुमार जैन

निदेशक (योजना), दिविप्रा

1. श्री सुरजित जराधरा

निदेशक (भवन), दिविप्रा

1. श्री एल डी जोशी

उप सचिव (वित्‍त), जीएनसीटीडी

1. श्री उत्‍तम गुप्‍ता

उप निदेशक (योजना), दिविप्रा

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

**मद सं. 57/2016**

**राज निवास में दिनांक 11.03.2016 को आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त की पुष्टि।**

**एफ. 2(2)2016/एमसी/डीडीए**

दिनांक 11.03.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त यथा परिचालित पुष्टि की गई।

**मद सं. 58/2016**

**दिनांक 17.2.2016 को आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।**

**एफ.2(3)2016/एमसी/डीडीए**

दिनांक 17.2.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्‍त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टें (ए.टी.आर.) नोट की गईं।

**मद सं.59/2016**

**सेक्‍टर-25, द्वारका में आईएफसी हेतु प्रस्‍तावित 90 हेक्‍टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग को ‘व्‍यावसायिक’ (सी-2) से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक’ (पीएस-1) में परिवर्तन ।**

**एफ.3(5)/2011/एमपी/वोल.-I**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 60/2016**

**सेक्‍टर-2, द्वारका प्रोजेक्‍ट जोन के-II में 8670.88 वर्ग मी. प्‍लॉट के भूमि उपयोग को डीओपीटी, भारत सरकार के लिए ‘आवासीय’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक’ में बदलने का प्रस्‍ताव।**

**एफ.20(20)/2015-एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 61/2016**

**प्‍लानिंग जोन-डी में आने वाले फ्लाईओवर, मोती बाग, नई दिल्‍ली के पास रेलवे ट्रैक के साथ शान्ति पथ पर मल्‍टी स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु 0.28 हेक्‍टेयर क्षेत्र के प्राइमरी स्‍कूल प्‍लॉट के भूमि उपयोग का ‘आवासीय’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं’ में प्रस्‍तावित बदलाव।**

**एफ.20(14)2015/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/ सुझावों हेतु सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

**मद सं. 62/2016**

**योजना जोन-ए (चारदीवारी शहर) में आने वाले गॉंधी मैदान में स्थित 1.852 हेक्‍टेयर क्षेत्र की भूमि उपयोग को ‘मनोरंजनात्‍मक’ (समीपवर्ती पार्क/ खाली जगह) से ‘परिवहन’ (मल्‍टी लेवल पार्किंग) में बदलने के संबंध में प्रस्‍ताव।**

**एफ.20(3)2016/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/ सुझावों हेतु सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

आयुक्‍त उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम को ऐसी परियोजनाओं, विशेष रूप से हौज खास में जिन्‍हें विगत में कार्यान्वित किया गया है, का अध्‍ययन करने हेतु कहा गया और इन अनुभवों से मुख्‍यत: वास्‍तुशिल्‍पीय कार्य और गुणवत्‍ता नियंत्रण से सीख लेते हुए सुसंगत विशेषताओं को शामिल करें। उन्‍हें शाहजहानाबाद पुनर्निर्माण निगम (एसडीआरसी) के कर्मचारियों से विचार-विमर्श करने के लिए भी कहा गया ।

**मद सं. 63/2016**

**योजना जोन-डी में आने वाले जनपथ रोड, नई दिल्‍ली में स्थित 7.76 एकड़ (3.14 हेक्‍टेयर) क्षेत्र के भूमि उपयोग को ‘सरकारी कार्यालय’ से ‘आवासीय (गेस्‍ट हाउस)’ में प्रस्‍तावित बदलाव।**

**एफ.20(12)2015/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 64/2016**

**मौजूदा फार्म हाऊस के नियमितीकरण हेतु विनियमनों एवं एमपीडी- 2021 के एलडीआरए प्रावधानों में सुधार/ संशोधन**

**एफ. 3(103)96/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव निम्‍नलिखित आशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:

पैरा 4.4.3(जी) (vi) अंतिम पैरा में पाठ को निम्‍नलिखित रूप में संशोधित किया जाए:-

अनुमत एफएआर के अतिरिक्‍त एलडीआर प्‍लॉट के एक एकड़ आकार पर मुख्‍य निवास इकाइयों की संख्‍या पर ध्‍यान दिए बिना अधिकतम 30 वर्ग मी. की 3 ईडब्‍ल्‍यूएस/सामुदायिक सेवा कार्मिक इकाइयों को अनुमति दी गई।

संबंधित स्‍थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि सभी एलडीआरपी क्षेत्र गैर पेय उद्देश्‍यों, वर्षा जल/रूफ टॉप वॉटर हारवेस्टिंग इत्‍यादि के उपयोग के लिए पानी के पुनर्चक्रण के संबंध में सांविधिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन करें।

यह मामला शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 65/2016**

**दिल्‍ली मुख्‍य योजना 2021 में अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन केंद्र हेतु विकास नियंत्रण मानकों में प्रस्‍तावित संशोधन**

**एफ.15(17)2015/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव टेबल 13.17 में निम्‍नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

‘‘यूबीबीएल के अनुसार तथा सभी संबंधित सांविधिक निकायों और अन्‍य सांविधिक प्राधिकरणों जो इसमें उल्लिखित नहीं है, से ऊचांई प्रतिबंध हेतु अनापत्ति मिलने पर, इसमें जोड़ा जाए। ’’

यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 66/2016**

**सरकारी सेक्‍टर और सामाजिक-सांस्‍कृतिक गतिविधियों हेतु सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग श्रेणी के अंतर्गत प्‍लाटों के लिए विकास नियंत्रण मानकों के संदर्भ में एमपीडी-2021 के अध्‍याय 13 में सामाजिक आधारिक संरचना में संशोधन के लिए प्रस्‍ताव।**

**एफ.20(01)2016-एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव निम्‍नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:-

1. टेबल 8.2 के अंतर्गत जोनल विकास योजना में दिए गए अन्‍य प्रावधानों के साथ जोन ओ और बंगला क्षेत्र के जोन सी और जोन डी में स्थित उपयोग परिसरों हेतु अधिकतम एफएआर 200 होगा।
2. ‘‘सभी श्रेणियों में ऊँचाई हेतु “प्रावधानों में सभी संबंधित सांविधिक निकायों और अन्‍य सांविधिक प्राधिकरणों जो इसमें शामिल नहीं है, से अनापत्ति मिलने पर,” प्रावधानों में जोड़ा जाए। ’’

यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 67/2016**

**दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित आवासीय, व्‍यावसायिक, औद्यौगिक और सांस्‍थानिक प्‍लॉटों पर निर्माण पूरा करने हेतु समय सीमा विस्‍तार।**

**एफ.पीए/डीडी/एलएबी/आरओ/07/डीडीए/ईओटी/38**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया और निर्णय लिया गया कि इसे तुरंत कार्यान्वित किया जाए।

इसके अतिरिक्‍त, एजेंडा मद के विश्‍लेषण घटक के अंतर्गत पैरा 3(ए) का प्रावधान जैसे कि सेवाओं को स्‍पष्‍ट रूप से बताया जाए और अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाए।

**मद सं. 68/2016**

**व्‍यावसायिक केंद्रों में दि.वि.प्रा. के पार्किंग स्‍थलों का संबंधित दिल्‍ली नगर निगमों को हस्‍तांतरण के संबंध में।**

**एफ.99(100)एलपीसी/पार्किंग/2014-15**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव को पॉलिसी के मामला के रूप में अनुमोदित किया गया।

अनुलग्‍नक-1 में सूचीबद्ध पार्किंग स्‍थलों के अलावा अन्‍य पार्किंग स्‍थलों, लेकिन जो उसी श्रेणी के हों, को दिविप्रा द्वारा उचित निरीक्षण के बाद प्राधिकरण के सम्‍मुख लाए बिना दिल्‍ली नगर निगम को हस्‍तांतरित किया जाए।

आगे निर्णय लिया गया कि दिविप्रा पॉलिसी बनाने हेतु रा.रा.क्षे. दिल्‍ली सरकार, दिल्‍ली पुलिस और स्‍थानीय निकायों के साथ समन्‍वय स्‍थापित करके दिल्‍ली में पार्किंग स्‍थलों को चिन्हित करने और उपयोग करने हेतु एक पेशेवर अध्‍ययन करवाएगा।

**मद सं. 69/2016**

**दिल्‍ली, 2016 हेतु एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल) के पैरा 9.2.5 में प्रस्‍तावित संशोधन एस.ओ. 1191 (ई) दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया।**

**एफ.15(15)/2012-एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्‍ताव पर विस्‍तार में चर्चा हुई। प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्‍यों द्वारा यह पाया गया कि आवासीय भवनों पर संचार/मोबाइल टावरों को लगाए जाने से कथित स्‍वास्‍थ्‍य खतरों के कारण जनता बहुत चिंतित है। यह निर्णय लिया गया कि सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और अथवा संबंधित अधिकारियों अथवा सचिव, दूरसंचार, भारत सरकार द्वारा इस प्रकार तैनात किसी अन्‍य व्‍यक्ति को विषय के बारे में सदस्‍यों को बताने के लिए प्राधिकरण की अगली बैठक में आमंत्रित किया जाए ताकि प्राधिकरण इस पर विचार कर सके।

**मद सं. 70/2016**

**दुरुपयोग (मिसयूज) प्रभार लगाने हेतु सभी पिछली नीतियों का अतिक्रमण करते हुए एक विस्‍तृत पॉलिसी बनाना और कार्य प्रणाली का युक्तिकरण।**

**एफ.पीएस/निदेशक(आरएल)/2016/मिसयूज पॉलिसी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया और निर्णय लिया गया कि इसे तुरंत क्रियान्वित किया जाए।

लोगों को जागरूक करने के लिए, दुरूपयोग प्रभारों के परिकलन की इस कार्यविधि का कैम्‍पों, विज्ञापन बोर्डों और विज्ञापनों इत्‍यादि के माध्‍यम से व्‍यापक रूप से प्रचार किया जाए।

**मद सं. 71/2016**

**शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा अंतिम अधिसूचना हेतु एमपीडी-2021 के अध्‍याय -19 में संशोधन।**

**एफ.3(53)2003/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियां /सुझावों को आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

भूमि नीति के परिचालन में तेजी लाने के लिए उपयुक्‍त गाँवों को विकास क्षेत्र और शहरी गाँवों के रूप में घोषित करने हेतु मुख्‍य सचिव, जीएनसीटीडी से राजस्‍व एवं शहरी विकास विभागों के साथ मिलकर मामला तुरंत लेने का अनुरोध किया गया।

**मद सं. 72/2016**

**मोटलों के संबंध में दिल्‍ली मुख्‍य योजना-2021 में प्रस्‍तावित संशोधन।**

**एफ.20(04)/83-एमपी/वोल.II**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव को निम्‍नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:

टेबल 5.4 के अंतर्गत पैरा (एफ) (ix) (ई) को निम्‍नलिखित रूप में बदला जाए:-

‘‘मालिक द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्‍ली सरकार, दिल्‍ली पुलिस, दिल्‍ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), संबंधित स्‍थानीय निकायों, दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और इसमें उल्लिखित न किए गए अन्‍य संबंधित सांविधिक प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।”

यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**मद सं. 73/2016**

**राष्‍ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पुराना किला के पीछे, भैरव मंदिर रोड पर प्रगति मैदान के सामने, नई दिल्‍ली के भवन के निर्माण के लिए, जोन-डी में 2.63 हेक्‍टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग को ‘मनोरंजनात्‍मक (जिला पार्क)’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ में प्रस्‍तावित बदलाव।**

**सं.एफ.20(5)2015/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।

**अन्‍य मदें**

1. **दिनांक 11.03.2016 को राज निवास, दिल्‍ली में आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्‍यों द्वारा ‘अन्‍य बिन्‍दुओं’ पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।**

**सं. एफ.2(2)2016/एमसी/डीडीए/पार्ट.**

दिनांक 11.03.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के दौरान प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्‍यों द्वारा उठाए गए “अन्‍य बिन्‍दुओं” पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की गई।

1. **वर्ष 2016-2017 के लिए वार्षिक कार्य योजना।**

**एफ.2(5)2016/पीएंडसी**

वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के विभिन्‍न विभागों हेतु वार्षिक कार्य योजना नोट किया गया।

1. **मुख्‍य अभियंता (सिविल) के रिक्‍त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।**

**एफ.7(12)2013/पीबी-I**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

माननीय उप राज्यपाल, दिल्‍ली ने बैठक में शामिल होने के लिए सभी सदस्‍यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्‍ठ अधिकारियों का धन्‍यवाद किया।

अध्‍यक्ष के धन्‍यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्‍त हुई।